

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 232/23 दिनांक – 27/8/2023

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धाराये – 7

(ब) अधिनियम – धाराये –

(स) अधिनियम – धाराये –

(द) अन्य अधिनियम – धाराये –

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 535 समय – 4:30 pm

ब. अपराध के घटने का दिन – शनिवार, दिनांक – 26.08.2023 समय – 08.49 ए.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 24.08.2023 समय – 10.20 ए.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरुख पश्चिम लगभग 70 किलोमीटर

(ब) पता :– भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री अर्जुनसिंह (ब) पिता/पति का नाम – श्री छत्तरसिंह

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 56 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – अध्यापक (र) पता – गांव हॉपासर तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित-

1. श्री रेवतराम पुत्र श्री चुनीलाल जाति माली उम्र 62 वर्ष निवासी गुमानियों का बेरा बालेसर सत्ता जोधपुर हाल भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर हाल अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- नहीं

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पत्तियां का कुल मुल्य :- रिश्वत राशि 65,000/- रु.

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

13

सेवा में

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर  
जोधपुर

विषय:- रिश्वत लेने हेतु रंगे हाथ पकड़वाने बाबत।

महोदय जी,

निवेदन है कि मैं अर्जुनसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह जी जाति राजपूत उम्र 56 वर्ष निवासी गांव हापौसर त0 सेखाला जोधपुर का रहने वाला हूँ।

श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे बालेसर सत्ता में आबादी भूमि में लगभग 20-25 वर्षों से कब्जा शुदा 25x100 फिट प्लॉट है। उसमें दो दुकाने बनी हुई हैं। इस प्लॉट लिए मैंने 1 वर्ष पूर्व बालेसर पंचायत में पट्टे के लिए आवेदन किया था। जब भी सरपंच साहब रेवतराम जी ने मूँझे रिश्वत के रूप में अतिरिक्त 100000/ रु. अक्षरे एक लाख रुपये मांगे थे लेकिन मेरे पास इतने रुपये नहीं होने के कारण मैं पट्टा नहीं ले सका।

अब मैंने दिनांक 27.02.2023 को नगरपालिका बालेसर में पट्टे के लिए आवेदन किया फिर दिनांक 6.6.23 को नगरपालिका द्वारा दैनिक नवज्योति में नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद पटवारी रिपोर्ट होकर रही थी जब नगरपालिका बालेसर अध्यक्ष रेवतराम का फोन आया कि अर्जुनसिंह आप की फाईल पट्टे के लिए OK है मुझसे मिलना है। तो मैं जाकर मिला तो कहा पट्टे के लिए आप को 65000/ रु. अक्षरे पैसंठ हजार अतिरिक्त देने होंगे। लेकिन मैं रिश्वत के रुपये देना नहीं चाहता हूँ। व श्री मानजी से निवेदन है कि मैं रेवतरामजी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे रेवतराम जी कोई पूरानी रंजीश, दुश्मनी व लेनेदेन बकाया नहीं है। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावे।

दिनांक

24.08.23 सलंगन प्रतिलिपि

- |                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| 1. आधार कार्ड फोटो कॉपी हस्ताक्षरयुक्त       | भवदीय                  |
| 2. पट्टे की फाईल जमा रसीद हस्ताक्षरयुक्त     | एसडी /<br>(अर्जुनसिंह) |
| 3. दैनिक नवज्योति अखबार में नोटिफिकेशन कटिंग | मो.नं. 9982811950      |

कार्यवाही पुलिस दिनांक 24.08.2023 समय 10.20 ए.एम

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट श्री अर्जुनसिंह S/0 श्री छत्तरसिंह जाति-राजपूत उम्र-56 वर्ष निवासी हापौसर ने ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर पर उपस्थि होकर पेश की। उपरोक्त रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की जा रही है।

एसडी/  
(अर्जुनसिंह)

एसडी/  
(सुरेन्द्र कुमार)  
अति. पुलिस अधीक्षक  
भ्रनिब्यूरो, जोधपुर  
24.08.23

एसडी/(शशि माहिच) 25.08.23

एसडी/(हरीराम) 25.08.23

**कार्यवाही पुलिस**  
**दिनांक 24.08.2023 समय 10.20 ए.एम.**

इस समय परिवादी अर्जुनसिंह पुत्र श्री छतरसिंह जाति राजपूत उम्र 56 वर्ष निवासी गांव हापॉसर त0 सेखाला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार अति पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि “ निवेदन है कि मैं अर्जुनसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह जी जाति राजपूत उम्र 56 वर्ष निवासी गांव हापॉसर त0 सेखाला जोधपुर का रहने वाला हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे बालेसर सत्ता में आबादी भूमि में लगभग 20-25 वर्षों से कब्जा शुदा  $25\times 100$  फिट प्लॉट है। उसमें दो दुकाने बनी हुई हैं। इस प्लॉट लिए मैंने 1 वर्ष पूर्व बालेसर पंचायत में पट्टे के लिए आवेदन किया था। जब भी सरपंच साहब रेवतराम जी ने मूझे रिश्वत के रूप में अतिरिक्त 100000/- रु. अक्षरे एक लाख रूपये मांगे थे लेकिन मेरे पास इतने रूपये नहीं होने के कारण में पट्टा नहीं ले सका। अब मैंने दिनांक 27.02.2023 को नगरपालिका बालेसर में पट्टे के लिए आवेदन किया फिर दिनांक 6.6.23 को नगरपालिका द्वारा दैनिक नवज्योति में नोटीफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद पटवारी रिपोर्ट होकर रही थी जब नगरपालिका बालेसर अध्यक्ष रेवतराम का फोन आया कि अर्जुनसिंह आप की फाईल पट्टे के लिए OK है मुझसे मिलना है। तो मैं जाकर मिला तो कहा पट्टे के लिए आप को 65000/- रु. अक्षरे पैसंठ हजार अतिरिक्त देने होंगे। लेकिन मैं रिश्वत के रूपये देना नहीं चाहता हूँ। व श्री मानजी से निवेदन है कि मैं रेवतरामजी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे रेवतराम जी कोई पूरानी रंजीश, दुश्मनी व लेनेदेन बकाया नहीं है। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावे।” मजीद दरियाफत् पर परिवादी ने बताया कि उक्त लिखित रिपोर्ट मैंने लिखी है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का होना पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री अर्जुनसिंह से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालू करने, बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी श्री अर्जुनसिंह व श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक को समझाया गया। तत्पश्चात् वक्त 11.13 ए.एम. पर श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका का बालेसर में होने का ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री अर्जुनसिंह के मोबाईल नं. 9982811950 से संदिग्ध श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका के मोबाईल नं. 9610661010 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका ने बताया कि मैं सुबह 10.00 तक ही बालेसर में मिलता हूँ। इसके बाद कही निकल जाता हूँ। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात् श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अर्जुनसिंह को कल दिनांक 25.08.2023 को बालेसर बस स्टेण्ड पर प्रातः 08.00 ए.एम. पर मिलने की वार्ता श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक से करने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रुखस्त किया गया। ताबाद श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक को हिदायत दी गई कि आप कल दिनांक 25.08.2023 को सुबह 5.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी श्री अर्जुनसिंह से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु परिवादी के बताये अनुसार स्थान पर पहुँचने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई। दिनांक 25.08.2023 को वक्त 05.15 ए.एम. पर श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित है जिस पर श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक को सुर्पर्द कर परिवादी श्री अर्जुनसिंह से सम्पर्क कर परिवादी व संदिग्ध श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक को हिदायत कर बालेसर की तरफ रवाना किया। ताबाद वक्त 09.00 ए.एम. पर श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक ने श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि परिवादी व संदिग्ध श्री रेवतराम नगर पालिका अध्यक्ष के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता परिवादी के बताये अनुसार हो गई हैं। वार्ता के दौरान संदिग्ध श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा 65000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक के मोबाईल से ही परिवादी को हिदायत दी की आप रिश्वती राशि की व्यवस्था कर आज ही कार्यालय में उपस्थित आवे एवं पूर्ण गोपनीयता रखी जावें एवं श्री भरत झूकिया कनिष्ठ

सहायक को हिदायत दी कि आप परिवादी को वही छोड़ कर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर कार्यालय पर उपस्थित आवें। तत्पश्चात् वक्त 11.20 ए.एम. पर श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि “मैं श्रीमान के निर्देशानुसार आज सुबह कार्यालय से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डर कर लाने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर के रोडवेज बस से रवाना होकर बालेसर बस स्टेण्ड पहुंचा। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अर्जुनसिंह उपस्थित मिला तथा परिवादी से संदिग्ध श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका की उपस्थिति के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका अपने घर ही है। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री अर्जुनसिंह को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका के निवास स्थान की तरफ रवाना किया तथा मैं वही पर अपनी उपस्थिती छुपाते हुए आस-पास ही खड़ा रहा कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री अर्जुनसिंह मेरे पास आया जिस पर मैंने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। इसी दौरान परिवादी श्री अर्जुनसिंह ने मेरे को बताया कि मैं श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका के मकान के अन्दर गया जहां पर श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका उपस्थित थे जिन्होने मुझे कहा कि आप बाहर बैठो मैं बुला लुंगा कुछ समय बाद श्री रेवतराम नगर पालिका अध्यक्ष ने मुझे अपने कमरे के अन्दर बुलाया तथा मेरे कार्य से सम्बन्धित वार्ता कर रिश्वती राशि 65000/-रुपये की मांग की है। जिस पर मैंने आपको जरिये मोबाइल फोन परिवादी के बतायेनुसार अवगत करवाया था तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को बालेसर मे ही छोड़ कर रवाना हो कार्यालय पर उपस्थित आया हुं। तत्पश्चात् श्री सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अर्जुनसिंह एवं आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर का चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी के प्लाट का पट्टा जारी करने की ऐवज में स्वयं के खर्चे के लिये 5000/-रुपये तथा अपने आठ-दस स्टाफ के लिये 60000/-रुपये कुल मिलाकर 65000/-रुपये रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टी हुई है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस को अपनें कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अर्जुनसिंह की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज सुपुर्द कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 24.08.2023 को परिवादी श्री अर्जुनसिंह व श्री आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका के बीच हुई मोबाइल पर मांग सत्यापन से पूर्व हुई वार्ता एवं दिनांक 25.08.2023 को परिवादी श्री अर्जुनसिंह व श्री आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, कों सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् 12.30 पी.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तों परिवादी श्री अर्जुनसिंह के प्लॉट का पट्टा बनाने की पत्रावली नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर में है। उक्त पत्रावली पर पट्टा जारी करने की ऐवज में आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता द्वारा रिश्वत मांगने की रिपोर्ट दी गई। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 24.08.2023 को परिवादी अर्जुनसिंह व आरोपी श्री रेवतराम के मध्य मोबाइल पर मांग सत्यापन से पूर्व हुई वार्ता एवं दिनांक 25.08.2023 को आरोपी व परिवादी के बीच हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है को सुना गया तो दिनांक 24.08.2023 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाइल पर मांग सत्यापन से पूर्व हुई वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी को कहा गया कि आप मेरे पास कल 10 बजे से पहले घर पर आ जाना। ताबाद दिनांक 25.08.2023 को आरोपी व परिवादी के बीच हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी के प्लाट का पट्टा जारी करने की ऐवज में स्वयं के खर्चे के लिये 5000/-रुपये तथा अपने आठ-दस स्टाफ के लिये 60000/-रुपये कुल मिलाकर 65000/-रुपये रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टी हुई है। लिखित रिपोर्ट व रिकॉर्ड वार्ता से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का होने से आईन्दा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर द्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु एक पत्र श्रीमान उपायुक्त वाणिज्यकर विभाग सम्भाग प्रथम जोधपुर के नाम जारी कर जरिये ईमेल प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् श्रीमान उपायुक्त वाणिज्यकर विभाग सम्भाग प्रथम जोधपुर ने जरिये फोन मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि वर्तमान में मेरे पास एक कार्मिक उपलब्ध है जिसे मैं आपके कार्यालय में भिजवा रहा है। तत्पश्चात् एक अन्य स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से एक पत्र श्रीमान उपायुक्त वाणिज्यकर विभाग सम्भाग द्वितीय जोधपुर के नाम जारी कर एक स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु जरिये ईमेल प्रेषित कर निवेदन किया गया। ताबाद अग्रिम द्रेप कार्यवाही में जाब्ते की एवं एक अन्य सरकारी वाहन की आवश्यकता होने से मन्

निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण जरिये फोन निवेदन किया गया। तत्पश्चात् वक्त 04.00 पी.एम. पर श्रीमान उपायुक्त वाणिज्यकर विभाग सम्भाग प्रथम एवं द्वितीय जोधपुर से दो कार्मिक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। उपस्थित आये कार्मिकों से मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिकों को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय से अपना परिचय श्री शशि महिंच पुत्र श्री इन्द्राजसिंह उम्र 30 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी झाड़सर कांदलान तहसील तारानगर जिला चुरू, हाल कर सहायक वाणिज्य कर विभाग जोन प्रथम जोधपुर व श्री हरिराम पुत्र स्व. श्री पुखाराम उम्र 34 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी डॉ. भीमराव अम्बेडकर नगर ग्राम बनाड़ जोधपुर, हाल वरिष्ठ सहायक वाणिज्य कर विभाग जोन प्रथम जोधपुर के रूप में दिया। हर दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी अर्जुनसिंह का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिकों को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी अर्जुनसिंह द्वारा आज दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं श्री परिवादी अर्जुनसिंह व आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता के मध्य आज दिनांक 25.08.2023 को हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है के मुख्य-मुख्य अंश का सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढ़कर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी तथा परिवादी श्री अर्जुनसिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्डा फर्ड ट्रान्सफिट बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् वक्त 04.25 पी.एम. पर रुबरु गवाहान परिवादी श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह, जाति राजपुत, उम्र 56 वर्ष, निवासी हापॉसर तहसील सेखाला जिला जोधपुर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता जिला जोधपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री अर्जुनसिंह ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 130 नोट कुल राशि 65,000/- रुपये पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबरों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 ED 757388
2.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 GB 142643
3.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 GU 266771
4.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 BP 775191
5.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 EP 263144
6.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 NC 578490
7.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 PE 871573
8.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 DU 905107
9.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 GT 754960
10.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 SG 492403
11.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 LE 250241
12.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 LL 568524
13.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 NH 447989
14.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 HQ 441273
15.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 GW 788872
16.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 WM 108579
17.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 MQ 835544
18.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 DN 469814
19.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 ES 463429
20.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 QQ 070532
21.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 PN 281619
22.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 TM 819334
23.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 NE 604937
24.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 NC 836159
25.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 US 653310
26.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 AV 135489

27.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 NB 498701
28.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 FW 836745
29.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 BQ 305340
30.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 PF 887812
31.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 CH 037230
32.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 UP 460284
33.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 KP 025952
34.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 RP 975905
35.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 HH 273641
36.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 CF 656671
37.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 RW 992250
38.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 TP 271192
39.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 KF 405033
40.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 PG 071770
41.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 FH 884579
42.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 EE 616332
43.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 MM 692828
44.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 PF 573228
45.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 BU 316754
46.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 KW 780093
47.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 CT 775010
48.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 DF 888109
49.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 UM 036363
50.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 AD 243090
51.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 KB 531070
52.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 WL 473938
53.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 RH 660143
54.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 MG 676513
55.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 ND 580602
56.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 BT 094581
57.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 CC 250491
58.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 BK 469820
59.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 DN 075296
60.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 KN 315362
61.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 CH 159733
62.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 VF 354931
63.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 CM 260560
64.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 RS 383986
65.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 LK 630303
66.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 KN 887257
67.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 VK 472150
68.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 VM 869397
69.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 PU 760936
70.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 AS 965719
71.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 NS 711731
72.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 MP 829444
73.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 GU 047130
74.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 AH 289024
75.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 RR 242124

76.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 DT 882535
77.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 AT 035228
78.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 DM 655928
79.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 DM 661524
80.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 DM 661525
81.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 ES 846998
82.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 FF 937360
83.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 CK 631487
84.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 CN 647857
85.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 MT 098245
86.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 RN 951051
87.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 CQ 350623
88.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 WN 728785
89.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 BV 494683
90.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 HT 704834
91.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 NH 538489
92.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 EF 000532
93.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 LA 137862
94.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 PM 361372
95.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 GW 117460
96.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 GM 031940
97.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 RG 087864
98.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 HU 904186
99.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3 VM 738341
100.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 ML 087659
101.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 ET 931116
102.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 WS 066944
103.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 FG 895288
104.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 NE 092687
105.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 AQ 800224
106.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 QB 491108
107.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 EH 512329
108.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 KW 020164
109.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 LF 705583
110.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 WS 198468
111.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 FR 634776
112.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 FT 903205
113.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 AG 643596
114.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 SR 865332
115.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 FP 717001
116.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	2 BW 850242
117.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 VN 886616
118.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9 GA 761117
119.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5 HF 410094
120.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6 QU 683700
121.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 PA 715208
122.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	7 DQ 235363
123.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	4 RG 596638
124.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 RG 715154

125.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 HP 625685
126.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	8 LM *039993
127.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 BW 350279
128.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 PA 064053
129.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1 TW 191948
130.	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0 CU 834728

श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त 65,000/- रुपये के नोटों को एक पुराने अखबार के उपर रखवाकर नोटों पर श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया तत्पश्चात् परिवादी श्री अर्जुनसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री शशि माहिच से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसका मोबाईल फोन एवं परिवादी का छोटा काले रंग का हैण्ड बैग परिवादी के कहेनुसार परिवादी के पास रहने दिया गया। उक्त बैग की भी पूर्ण रूप से तलाशी गवाह श्री शशि माहिच से लिवाई जाकर उक्त हैण्ड बैग में किसी प्रकार के दस्तावेज या राशि नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् उपरोक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 65,000/- रुपये रिश्वती राशि जो आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता जिला जोधपुर को दी जानी है उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि को श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री अर्जुनसिंह के के पास रखे उपरोक्त काले रंग का हैण्ड बैग में रखवाई गई तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अर्जुनसिंह को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि आप के पास रखे काले रंग के हैण्ड बैग में से निकाल कर उन्हें देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करे। रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो जाने पर गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर फोन कर या अपने सिर पर दोनों हाथ आगे से पीछे की तरफ दो बार फेर कर गोपनीय ईशारा करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् कार्यालय हाजा से एक नई पारदर्शी प्लास्टिक गिलास मंगवाई जाकर उसमें पीने का साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन ने उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। जिस पर हाजरीन को समझाई शक्ति की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर उक्त गिलास को नष्ट करवाया गया एवं जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी रुबरु गवहान जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। उपस्थित व्यूरो जाब्ता एवं गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर उनके व्यूरो जाब्ता उनका मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि नहीं रहने दी गई। सभी उपस्थितान के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। उक्त समस्त कार्यवाही फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षार करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। चुंकि रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी कल दिनांक 26.08.2023 को सुबह 10.00 बजे से पूर्व आने को कह रहा है। इसलिये कल दिनांक 26.08.2023 को अग्रिम द्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया। अब तक की द्रेप कार्यवाही के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् वक्त 05.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अर्जुनसिंह के पास रखे काले रंग के हैण्ड बैग जिसमें आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि रुपये 65000/- रुपये के उक्त बैग को गवाह श्री शशि माहिच परिवादी से लिवाया जाकर कार्यालय की अलमारी के डबल लॉक में रखवा कर डबल लॉक एवं अलमारी के ताला लगवाया जाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखी गई। ताबाद स्वतंत्र गवाहान श्री शशि माहिच, श्री हरिराम एवं परिवादी श्री अर्जुनसिंह को कल दिनांक 26.08.2023 को प्रातः 06.30 ए.एम. पर कार्यालय

मैं उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई। इसी दौरान परिवादी श्री अर्जुनसिंह ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं आपको सुबह तिलवाड़िया फांटा चौपासनी बाईपास पर उपस्थित मिल जाऊंगा। ताबाद परिवादी एवं गवाहान को आवश्यक हिदायत के साथ रुखस्त किया गया। दिनांक 26.08.2023 को वक्त 06.30 एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में ईमदाद हेतु भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो जोधपुर ग्रामीण से श्री रामकुमार कानि. नं. 493 व श्री अमरसिंह कानि. नं. 415 मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री संजय कानि. नं. 587 के छोकी हाजा पर उपस्थित आये। ताबाद वक्त 06.35 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री शशि माहिच एवं श्री हरिराम मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष व्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। ताबाद मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वति राशि 65,000/- रुपये रखे काले रंग के हैण्ड बैग को कार्यालय हाजा की अलमारी के डबल लॉक में रखवाया गया था। उक्त अलमारी का ताला खोलकर अलमारी के डबल लॉक में से उक्त रिश्वति राशि रखे हैण्ड बैग को निकलवाया जाकर गवाह श्री शशि माहिच के पास ही सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् वक्त 07.05 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री शशि माहिच मय रिश्वति राशि रखी का हैण्ड बैग, श्री हरिराम व्यूरो जाब्ता श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री रामकुमार सिंह कानि. नं. 493, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अमरसिंह कानि. नं. 415 मय सरकारी वाहन ट्वेरा नं. आरजे 14 युसी 3552 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535, सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर जे 14 युसी 4995 मय चालक श्री संजय कानि. नं. 587 के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ.नि.व्यूरो जोधपुर से बालेसर सत्ता की तरफ रवाना होकर वक्त 07.25 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के तिलवाड़िया फांटा चौपासनी बाईपास पर पहुंचे। जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री अर्जुनसिंह उपस्थित मिला। जिनको हमराह लेकर वहां से रवाना होकर वक्त 08.35 पी.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के परिवादी के बतायेनुसार आरोपी श्री रेवतराम के निवास भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर के पास पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस ने सरकारी वाहनों को रोड़ के साईड में गोपनीय रूप से खड़ा करवाया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अर्जुनसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री हरिराम से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसका मोबाईल फोन के अलावा कोई राशि या आपतीजनक दस्तावेज नहीं रहने दिये गये तथा आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि का काले रंग का छोटा हैण्ड बैग गवाह श्री शशि माहिच से परिवादी श्री अर्जुनसिंह को सुपुर्द करवाया जाकर गवाह श्री शशि माहिच के दोनों हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि का आदान-प्रदान होने के पश्चात् पूर्व में निर्धारित गोपनीय ईशारा कर अवगत करावे। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द किया एवं आरोपी श्री रेवतराम से सम्पर्क कर रिश्वति राशि लेन-देन हेतु आरोपी श्री रेवतराम के निवास स्थान भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर की तरफ रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान ने अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी श्री रेवतराम के निवास स्थान के इर्द-गिर्द पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। तत्पश्चात् 08.49 ए.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनसिंह ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारानुसार अपने मोबाईल से मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय व्यूरो जाब्ता आरोपी श्री रेवतराम के निवास भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर हाल अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर के सामने पहुंचे आरोपी के निवास स्थान के मुख्य द्वार पर बने बैठक के कमरे के दरवाजे पर परिवादी श्री अर्जुनसिंह अपने हाथ में छोटा काले रंग का हैण्ड बैग लिये हुए उपस्थित मिला। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अर्जुनसिंह को पूर्व में सुपुर्द किया गया कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर उसको स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा ताबाद परिवादी ने उक्त बैठक कमरे में अन्दर सोफे पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर है। जिन्होने अभी मेरे से 65000/-रुपये रिश्वति राशि मांगकर अपने हाथ में लेकर कमरे में रखे लोहे का पलंग पर बिछी बैडसीट पर रखे हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस, ट्रेप दल व परिवादी को हमराह लेकर बैठक के कमरे में प्रवेश कर बैठक कमरे में सोफे पर बैठे व्यक्ति को अपना मय समस्त हमरायान का परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री रेवतराम पुत्र श्री चुनीलाल उम्र 62 वर्ष निवासी गुमानियों का बेरा बालेसर सत्ता जोधपुर हाल भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर हाल अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा व्यूरो जाब्ता आरोपी श्री रेवतराम के दोनों हाथ कलाई के उपर से व्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया।

तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान, परिवादी, ब्यूरो जाक्का के परिवादी श्री अर्जुनसिंह की तरफ ईशार कर पुछा की क्या आप इनको जानते हो? तो श्री रेंवतराम अध्यक्ष नगर पालिका ने बताया कि यह श्री अर्जुनसिंह है जो पेशे से मास्टर है तथा इनका बालेसर सत्ता में प्लॉट है जिस पर दुकाने बनी हुई है। उक्त प्लाट का पट्टा बनवाने के लिये मेरे पास करीब चार-पाँच बार पहले एवं कल भी मेरे पास आये थे तथा अपने प्लॉट के पट्टे के सम्बन्ध में वार्ता की थी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रेंवतराम को परिवादी श्री अर्जुनसिंह से अभी-अभी रिश्वति राशि प्राप्त करने के बारे में पुछा कि आपने परिवादी से किस काम के लिये रिश्वत राशि की मांग की एवं आज आपने किस बात के रूपये लिये है। जिस पर आरोपी श्री रेंवतराम ने बताया कि मेरा छोटा भाई श्री ओमप्रकाश जो भी मास्टर है जिनका श्री अर्जुनसिंह दोस्त है मेरी श्री अर्जुनसिंह से मेरे भाई श्री ओमप्रकाश के मार्फत जान पहचान है। आज करीब 15 माह पूर्व श्री अर्जुनसिंह ने मेरे से अपने निजी कार्य के लिए 50000/-रूपये उधार लिये थे वो रूपये आज मेरे को वापस दिये हैं। मैंने किसी प्रकार की कोई रिश्वति राशि की नहीं तो मांग और ना ही प्राप्त किये हैं। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री अर्जुनसिंह ने आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि मेरा बालेसर सत्ता जोधपुर में आबादी भूमि में लगभग 20-25 वर्षों से कब्जा सुदा 25 गुणा 100 फीट का प्लाट जिसमें दो दुकाने बनी हुई है। इस प्लाट के लिए मैंने एक वर्ष पूर्व बालेसर पंचायत में पट्टे के लिए आवेदन किया। उस समय तत्कालीन सरपंच श्री रेंवतराम (वर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता) ने मेरे से 100000/-रूपये की मांग की थी। अब मैंने दिनांक 27.02.2023 को नगर पालिका बालेसर सत्ता में मेरे उक्त कब्जाशुदा प्लॉट के पट्टे का आवेदन किया जिस पर दिनांक 06.06.2023 को नगर पालिका बालेसर सत्ता द्वारा स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में नोटिफीकेशन जारी किया उसके बाद हल्का पटवारी से रिपोर्ट की गई। श्री रेंवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता का मेरे पास फोन आया कि अर्जुनसिंह आपकी फाईल पट्टे के लिए ओके है। आप मेरे मिलना है तब मैं श्री रेंवतराम जी से मिला तो इन्होंने मुझसे 65000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा आज अभी-अभी थोड़ी देर पहले मेरे से रिश्वति राशि 65000/-रूपये अपने हाथ में लेकर कमरे में रखी लोहे के पलंग के उपर बिछी बैडशीट पर रखे हैं। यह उक्त राशि मेरे प्लाट का पट्टा बनाने की ऐवज में प्राप्त की है। जिस पर आरोपी श्री रेंवतराम को पुनः पुछा गया तो आरोपी श्री रेंवतराम ने कहा कि मैंने 65000/-रूपये श्री अर्जुनसिंह के प्लॉट के पट्टा बनाने के वास्ते लिये है। गलती हो गई माफी चाहता हूं। अब तक की कार्यवाही से उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ने निर्देशित किया कि आरोपी के मकान की खाना तलाशी शीघ्र लिया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी के मकान की खाना तलाशी शीघ्र ली जावे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान के अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। टवेरा वाहन से ट्रैप बॉक्स मंगवाकर ट्रैप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल साफ गिलास निकाल कर उक्त दोनों पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों में बैठक के कमरे में रखी पीने के पानी की मटकी में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनों गिलासों को भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में एक-एक चम्च सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्च से हिलाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणों ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री रेंवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को ढुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर उक्त शीशीयों पर मार्कर पेन से मार्क एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री रेंवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को ढुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों ने उक्त घोल के रंग को मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर उक्त शीशीयों पर मार्कर पेन से मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के निवास स्थान के बैठक के कमरे में रखे लोहे के पलंग पर बिछी बैडशीट के उपर 500-500 रूपये के नोटों का एक बण्डल रखा हुआ मिला उक्त नोटों के बण्डल को स्वतन्त्र गवाह श्री शशि माहिच से उठवाया जाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 130 नोट कुल राशि 65000/-रूपये होना पाये गये तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल को मार्क कर पूर्व मेरुतिबा फर्द पेशकशी स्वतन्त्र गवाह श्री हरिराम को सुपुर्द कर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बरामद राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। रिश्वति राशि भारतीय मुद्रा 65000/-रूपये को स्वतन्त्र गवाह श्री शशि माहिच के पास ही रहने दी गई। तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी



स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री रेवतराम के निवास स्थान में बैठक के कमरे में रखे लोहे के पलंग पर बिछी बैडशीट पर रिश्वति राशि मार्क स्थान का धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल साफ गिलास निकाल कर उक्त एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में बैठक के कमरे में रखी पीने के पानी की मटकी में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास को भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्चच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्चच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणों ने रंगहीन होना स्वीकार किया। गिलास के तैयार रंगहीन घोल में उक्त बैडशीट के रिश्वति राशि स्थल के हिस्से को ढुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों ने उक्त घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्कर पेन से उक्त शीशीयों पर मार्क बी-1 व बी-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् बैडशीट को समेट कर बैड शीट, धोवनों की शिशीयों एवं धोवन कार्यवाही हेतु प्रयोग में ली गई पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों का एक कागज में लपेटावाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका से परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित पट्टे की पत्रावली के बारे में पुछा गया तो आरोपी श्री रेवतराम ने कहा कि श्री अर्जुनसिंह के प्लाट के पट्टे की पत्रावली यही मेरे पास रखी हुई है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की प्लाट के पट्टे की पत्रावली पेश करने हेतु कहा गया तो श्री रेवतराम ने अपने कमरे में रखी टेबल उपर से पत्रावली लाकर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश की। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया तो पत्रावली के कवर पर अर्जुनसिंह S/O छतरसिंह बालेसर सत्ता MOB - 9982811950 ख.नं. 567 / 5 अंकित है जिसमें कुल पृष्ठ 1 से 30 तक अंकित कर रखे हैं जिस पर उक्त पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। आईन्दा नगरपालिका बालेसर के अधिकारी को तलब किया जाकर उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर मुल पट्टा पत्रावली सुपुर्द की जावेगी। इसी दरम्यान पुलिस थाना बालेसर से तलबशुदा पुलिस जाब्ता ईमदाद हेतु हाजिर आया। तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के निर्देशानुसार आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से हमराह श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस ने ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री शशि माहिच व श्री हरिराम एवं ब्यूरो जाब्ता एवं मन् निरीक्षक पुलिस की उपस्थिति में आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी लेना प्रारम्भ की गई। अब तक वक्त 11.30 ए.एम. तक आरोपी के मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। आरोपी श्री रेवतराम बालेसर सत्ता का अध्यक्ष नगर पालिका होने से जनप्रतिनिधि के समर्थकों की संख्या धीरे-धीरे आरोपी के निवास स्थान पर बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना बालेसर में करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। ताबाद मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री शशि माहिच, श्री हरिराम ब्यूरो जाब्ता श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री रामकुमार सिंह कानि. नं. 493, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अमरसिंह कानि. नं. 415, मय दस्तयाब शुदा आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता तथा फर्दातानुसार मालखाना आईटम एवं समस्त ट्रेप सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 3552 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535, सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर जे 14 युसी 4995 मय चालक श्री संजय कानि. नं. 587 एवं पुलिस थाना जाब्ता के पुलिस थाना बालेसर के लिये रवाना होकर वक्त 12.30 पी.एम. पर पुलिस थाना बालेसर पर पहुंचे। जहां पर श्री डुंगरराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस हाजिर मिले जिनका मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमरायान का परिचय देकर उनका परिचय प्राप्त कर अग्रिम ट्रेप करने की रहबरी हासिल की जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना परिसर में स्थित स्वागत कक्ष में रूबरू स्वतन्त्र गवाहान बरामद मालखाना आईटम शिल्ड चस्पा करना प्रारम्भ किया गया तथा प्रकरण में आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का लिया गया धोवन की शीशीयों को सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का लिया गया धोवन की शीशीयों को सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाह श्री शशि माहिच के पास रखी रिश्वति राशि भारतीय मुद्रा 65000/-रुपये को प्राप्त कर कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो ली गई। ताबाद बैडशीट से लिये धोवन की

शीशियों को सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क बी-1 व बी-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी स्थल बैड शीट को पंखे की हवा में सुखाया जाकर रिश्वति राशि बरामदगी स्थल जो पूर्व में मार्क किया गया था उस पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त बैड शीट को एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर किया गया। आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता जिला जोधपुर की जामा तलाशी गवाह श्री हरिराम से लिवाई गई आरोपी पहने हुए कुर्ता की ऊपर की सामने की दाहिनी जेब में एक सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर 1 356926101572861 2. 356927101572869 जिसमें एक जीयो कम्पनी की सिम नम्बर 9610661010 होना पाई गयी। मोबाइल फोन आरोपी श्री रेवतराम के पास ही रहने दिया गया। मोबाइल फोन के अलावा कोई राशि या दस्तावेज नहीं मिले। धोवन हेतु प्रयोग में ली गई तीनों पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों को कागज में लपेटी हुई अवस्था में ही ट्रेप बॉक्स से निकाल कर पुलिस थाना परिसर के एकान्त स्थान में जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् वक्त 02.50 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रेवतराम व ट्रेप बॉक्स ब्यूरो ज़ाब्ता को आवश्यक हिदायत के साथ सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र गवाहान, सर्व श्री शशि माहिच व हरीराम मय परिवादी श्री अर्जुनसिंह मय ब्यूरो ज़ाब्ता श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस एवं श्री अमरसिंह कानि. के सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री संजय कानि. को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण करने हेतु आरोपी के निवास स्थान के लिये रवाना वक्त 03.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा आरोपी श्री रेवतराम के निवास स्थान भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर जिला जोधपुर पहुंचे तथा रुबरु मौतबिरान एवं परिवादी श्री अर्जुनसिंह की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मुर्तिब करवाया जाकर फर्द पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन पुलिस थाना बालेसर के लिये रवाना होकर वक्त 04.05 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी मय ब्यूरो ज़ाब्ता मय सरकारी वाहन मय चालक के घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर पुलिस थाना बालेसर पर हाजीर आये व आरोपी व ट्रेप बॉक्स को संयं के जिम्मे लिया। ताबाद वक्त मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर के सेवा विवरण की आवश्कता होने से आरोपी के सम्बन्धितान अधिकारी श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बालेसर सत्ता जोधपुर से जरिये मोबाइल सम्पर्क करना चाहा तो अधिशासी अधिकारी का फोन स्वीच ऑफ आ रहा तथा आज दिनांक को राजकीय अवकाश होने से कार्यालय भी बन्द है। ऐसी स्थिति में आरोपी का सेवा विवरण एवं आरोपी के सहकर्मी से आरोपी की रिकार्ड आवाज की पहचान करवाया जाना सम्भव नहीं है। आईन्दा अधिशासी अधिकारी से पुनः सम्पर्क करने प्रयास किये जाकर इस बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् वक्त 04.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रेवतराम पुत्र श्री चुन्नीलाल उम्र 62 वर्ष निवासी गुमानियों का बेरा बालेसर सत्ता जोधपुर हाल भाई-भाई कृषि फार्म कुई बालेसर हाल अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर को किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार उसके भाई श्री छगनलाल को दी गई। ताबाद वक्त 06.58 पी.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शशि माहिच, श्री हरिराम ब्यूरो ज़ाब्ता श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री रामकुमार सिंह कानि. नं. 493, श्री छैलराम कानि. नं. 46, श्री अमरसिंह कानि. नं. 415 मय परिवादी श्री अर्जुनसिंह मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता तथा फर्दातानुसार मालखाना आईटम एवं समस्त ट्रेप सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 3552 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535, सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर जे 14 युसी 4995 मय चालक श्री संजय कानि. नं. 587 एवं पुलिस थाना ज़ाब्ता के पुलिस थाना बालेसर से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के लिये रवाना होकर वक्त 08.10 पी.एम. मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन मय ब्यूरो ज़ाब्ता मय परिवादी श्री अर्जुनसिंह मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता तथा फर्दातानुसार मालखाना आईटम एवं समस्त ट्रेप सामग्री मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 3552 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535, सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर जे 14 युसी 4995 मय चालक श्री संजय कानि. नं. 587 के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर पहुंचे। प्रकरण से संबंधित शील्ड सुदा प्रादर्श क्रमशः मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, बी-1, बी-2, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल बैडशीट का शील्डशुदा पैकेट एवं शील्ड सुदा रिश्वती राशि 65000/-रुपये इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा



मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 24.08.2023 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल पर मांग सत्यापन से पूर्व वार्ता एवं दिनांक 25.08.2023 को आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 26.08.2023 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड हैं उक्त रिकॉर्डर को मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। ताबाद सवतंत्र गवाहान श्री शशि माहिच व श्री हरिराम तथा परिवादी श्री अर्जुनसिंह को कल दिनांक 27.08.2023 को वक्त 07.00 ए.एम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने की हिदायत कर रुखसत किया गया। ताबाद वक्त 08.40 पी.एम. पर आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगर पालिका बालेसर सत्ता जोधपुर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय व्यूरो जाब्ता श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस, छैलाम कानि. नं. 46, श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के राजकीय सैटेलाईट अस्पताल पावटा के लिये रवाना किया। तत्पश्चात् वक्त 10.10 पी.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय व्यूरो जाब्ता श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस, छैलाम कानि. नं. 46 मय सरकारी वाहन कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 आरोपी श्री रेवतराम बाद मेडीकल परीक्षण कराने एवं आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर में बन्द हवालात कराने गये हुए हाजिर आये। प्राप्त रसीद मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की एवं साथ ही श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस ने मन निरीक्षक पुलिस सुनीता कुमारी को बताया कि आरोपी श्री रेवतराम का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के दौरान ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि आरोपी श्री रेवतराम की बीपी ज्यादा होने से इनका इलाज करना पड़ेगा तथा बीपी नार्मल होने बाद ही इनको ले जा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर की राय पर बीपी नार्मल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर मेडीकल रसीद प्राप्त कर पुलिस थाना उदयमन्दिर में पहुंच आरोपी थाना उदयमन्दिर में बन्द हवालात कराकर रात्रि निगरानी श्री भरत झूकिया कनिष्ठ सहायक की मासूर कर हाजिर आये हैं। दिनांक 27.08.2023 वक्त 07.15 ए.एम. पर पूर्व पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री शशि माहिच, श्री हरिराम कुमार एवं परिवादी श्री अर्जुनसिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। तत्पश्चात् वक्त 07.20 ए.एम. परिवादी श्री अर्जुनसिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री अर्जुनसिंह एवं आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रूबरू मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मोबाईल पर मांग सत्यापन से पूर्व हुई वार्ता एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री अर्जुनसिंह ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर की होना बताया। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीड़ीयां तैयार की। एक सीड़ी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीड़ीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीड़ीयों को मालखाना प्रभारी श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात् वक्त 09.20 ए.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनसिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री अर्जुनसिंह एवं आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर के मध्य दिनांक 18.08.2023 रिश्वत राशि लेन-देन हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड है। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रूबरू मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री अर्जुनसिंह अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर की होना बताया। उक्त



वर्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीड़ीयां तैयार की। एक सीड़ी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीड़ीयों को उब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनों सीड़ीयों को मालखाना प्रभारी श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात् बाद कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान श्री शशि माहिच, श्री हरिराम व परिवादी श्री अर्जुनसिंह को कार्यालय से रुखस्त किया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी की उक्त रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 25.08.2023 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री रेवतराम सरपंच ने परिवादी के बालेसर स्थित प्लाट का पट्टा नाने की एवज में 65000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाये जाने रिश्वति राशि मांग सत्यापन से आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री अर्जुनसिंह से रिश्वति राशि मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 26.08.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने पर आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जिला जोधपुर द्वारा रिश्वति राशि 65000/- रुपये अपने हाथ में लेकर कमरे में रखी लोहे के पलंग के उपर बिछी बैडशीट पर रखे जहां से ब्यूरो द्वारा रिश्वति राशि बरामद की जाकर आरोपी श्री रेवतराम के दोनों हाथों का धोवन एवं आरोपी के निवास स्थान के बैठक के कमरे में रखे लोहे के पलंग पर बिछी बैडशीट का धोवन लिया गया। आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जिला जोधपुर के दाहिने हाथ व बाये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में मटमेला रंग आना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल आरोपी के बैठक के कमरे में रखे लोहे के पलंग पर बिछी बैडशीट से लिया गया धोवन गुलाबी प्राप्त होना तथा रिश्वति राशि 65,000 रुपये रुबरु गवाहान के आरोपी श्री रेवतराम अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर से बरामद होना आदि से आरोपी श्री रेवतराम पुत्र श्री चुन्नीलाल उम्र 62 वर्ष निवासी गुमानियों का बेरा बालेसर सत्ता जोधपुर हाल भाई—भाई कृषि फार्म कुई बालेसर हाल अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी श्री रेवतराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति माली उम्र 62 वर्ष निवासी गुमानियों का बेरा बालेसर सत्ता जोधपुर हाल भाई—भाई कृषि फार्म कुई बालेसर हाल अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता जोधपुर का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय होने से इनके विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु 07 प्रतियों में प्रेषित है।

भवदीय

(सुनिता कुमारी)  
नियमितक चुलिल  
भ्रष्टाचार नियमेभक्त ब्यूरो,  
जोधपुर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्रीमती सुनिता कुमारी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रेवतराम पुत्र श्री चुन्नीलाल हाल अध्यक्ष नगरपालिका बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर के विरुद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 232/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

लाल  
27.8.23  
(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2665-68 दिनांक 27.08.2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

लाल  
27.8.23  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।